



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235245  
CG-DL-E-20042022-235245

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]  
No. 289]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 303(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क महानिदेशालय आशुलिपिक ग्रेड 2, अवर श्रेणी लिपिक, प्रमुख हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क महानिदेशालय आशुलिपिक ग्रेड 2, अवर श्रेणी लिपिक, प्रमुख हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क महानिदेशालय आशुलिपिक ग्रेड 2, अवर श्रेणी लिपिक, प्रमुख हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 में,-  
(क) नियम 2 उप नियम (1) में,-

(i) क्रम संख्या (iv) और उससे संबन्धित निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :- "संभार तंत्र निदेशालय";

- (ii) क्रम संख्या (ix) और उससे संबन्धित निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :-“ तंत्र मुनाफाखोरी विरोधी महानिदेशालय”;
- (iii) क्रम संख्या (xii) और उससे संबन्धित निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :-“विधि कार्य निदेशालय”;
- (ख) नियम 3 उप नियम (2) में, “6.3.2013” आंकड़ों के स्थान पर “29.8.2008” आंकड़ें रखे जाएंगे।

[फा.सं. ए-12018/02/2019-प्रशा. IIIख]

मुहम्मद आसिफ, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 20 April, 2022

**G.S.R. 303(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ posts, Recruitment (amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
2. In the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2021,-
  - (a) In rule 2, sub-rule (1),-
    - (i) For Sr. No.(iv) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-  
“Directorate of Logistics”;
    - (ii) For Sr. No.(ix) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-  
“Directorate General of AntiProfiteering”;
    - (iii) For Sr. No.(xii) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-  
“Directorate of Legal Affairs”;
  - (b) In rule 3, sub-rule (2), for the figures “6.3.2013”, the figures “29.08.2008” shall be substituted.

[F.No.A-12018/02/2019-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.